राजस्व अपील संख्या 118/2026 कुसुम्बी वगैरा बनाम गोकलाराम

निर्णय दिनांक 23 मार्च 2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 238/2025 अनवान गोकलाराम बनाम धूरा वगैराह में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के विरूद्ध यह प्रथम अपील दिनांक 12.3.2026 को प्रस्तुत की गई जो उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम मूलानी तहसील सेड़वा के ख0सं0 147/249 रकबा 3.4236 हैक्टर एवं ग्राम ककराला तहसील सेड़वा ख0सं0 294/98 रकबा 3.7636 हैक्टर भूमि उनकी खातेदारी में राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीमशुदा आये हुए है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी खातेदारों के द्वारा उनके खेत की माठ तोड़कर सीमाएं नष्ट करते रहते है। इस हेतु इसके स्थाई हल के लिये नेखमबन्दी करवाई जाने आवश्यक है अतः प्रार्थी के वर्णित खेत खसरों की भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.10.2025 को प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई लाकर एकमात्र प्रार्थी की बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2025 को ही पारित कर दिया गया है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वादग्रस्त खसरा भूमि के पडौसी खसरा संख्या 113 आया हुआ है। रेस्पो0 संख्या 1 के आवेदन में अंकित नेखमबन्दी का चाहा गया खसरा ओवरलेप है तथा मौके पर भूमि ही अवस्थित नहीं है। अपीलार्थीगण वक्त सेटलमेन्ट से आज दिनांक तक निरन्तर निर्बाध रूप से ग्राम मूलानी में निवासरत है। रेस्पोडेन्ट की उकत भूमि पर सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा भू–पैमाइश व सीमाज्ञान के बिना अधीनस्थ न्यायालय के जरिये

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रकिया अपनाये विधि विरूद्ध अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजी के मध्य नेखमबन्दी किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से उसे यह अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलान्टस के द्वारा अपील पेश की अनुमति हेतु प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपने आवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि पक्षकारान के खसरों की भूमि के बीचों–बीच व पड़ौसी व उनके बीच विवाद है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र रेस्पो0 संख्या एक को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 294/98 विभाजित होकर ग्राम ककराला व मूलानी की सरहद पर स्थित है। ऐसे में सरहद पर स्थित होने से दो राजस्व ग्रामों की सीमा लगती है। अपीलार्थीगण मौजा मूलानी में सेटलमेन्ट से आज तक उक्त खेतों में मौके पर काबिज चले आ रहे है। दोनों राजस्व गांवों की सीमाओं के खेतो का नाप किया जाता है तो सीमाओं का ओवरलेप आता है, सीमाओं की मिलान नहीं होने, सेटलमेन्ट के दस्तावेज वर्तमान में समान नहीं होने व सर्वे मैप व राजस्व दस्तावेज में भिन्नता होने के कारण सक्षम न्यायालय वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जे के आधार पर नेखमबन्दी करवाने के वैध अधिकारी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों ग्रामों की सरहद पर माठे, हरे वृक्ष की होने से व ओवरलेप होने से धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधीनियम के तहत अपीलाधीन आदेश पारित नहीं कर सकते है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विवादित भूमि की सीमाज्ञान एवं पैमाइश के पश्चात, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही नेखमबन्दी करने का अधीनस्थ न्यायालय ऐसा आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त नेखमबन्दी के आवेदन पर तहसीलदार से मौके की स्थिति व रेकार्ड के बारे में रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड एवं नक्शों को ऑनलाईन किया ज रहा है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने पर उसने बाले–बाले ऐसा आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर भूमि की सीमाओं का ओवरलेप है और

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्ट उक्त आवेदन पर अपीलाधीन आदेश पारित करवाकर अपीलान्ट की भूमि हड़प करना चाहते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेडवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 को निरस्त किया जावें।

6. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, सेडवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 जिसमें "ग्राम मूलानी तहसील सेड़वा के ख0सं0 147/249 रकबा 3.4236 हैक्टर एवं ग्राम ककराला तहसील सेड़वा ख0सं0 294/98 रकबा 3.7636 हैक्टर भूमि की पैमाइश व नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को निर्देश दिये गये है" में रेस्पोडेन्ट संख्या एक के आवेदन में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उन्हें सुनवाई व पक्ष रखे का जाने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की तहसीलदार से मौका स्थिति व राजस्व रेकर्ड में बारे में रिपोर्ट तलब नहीं की है जबकि खातेदारान के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद है और दो राजस्व ग्रामों की सरहद पर खेतों की सीमाएं होने से सीमाएं ओवरलेप हो रही है। अतः इन आधारों पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2025 को निरस्त किया जावें।

7. प्रकरण का अवलोकन किया गया। धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण का निस्तारण किये जाने में सभी प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति, वादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति रिपोर्ट तहसीलदार से तलब किये जाने, सीमाज्ञान रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किये जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में भू अभिलेख अधिकारी यथोचित निर्णय पारित कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए प्रकरण में मात्र प्रार्थी की ओर से नेखमबन्दी आवेदन पर की गई बहस को सुनकर ही नेखमबन्दी का आदेश पारित किया गया है। नेखमबन्दी के आवेदन में वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी तथ्यों का अभाव पाया गया है, अपील में दो राजस्व ग्रामों की सरहद लगने एवं खेतों की सीमाओं का ओवरलेप होने के तथ्य दर्शाये गये है। इसके अलावा अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी काश्तकार/खातेदार है जिन्हें सुनवाई का

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अवसर दिया जाना आवश्यक है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2025 को निरस्त करते हुए सभी उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने, आवेदनाधीन भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने, मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात धारा 111,128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णत पालना करते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2025 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवेदनाधीन भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने, मौका रिपोर्ट तलब करने, उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए पुनः यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 23/3/26. को सरे इजलास सुनाया गया।

23/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर